## Government of India Ministry of Education Department of Higher Education

### Appointment of Vice-Chancellor of Tezpur University (A Central University)

The Tezpur University is an institution of excellence in higher learning and research.

# The Vice-Chancellor, being the academic as well as administrative head, is expected to be:

- A person possessing the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment is to be appointed as Vice-Chancellor. The person to be appointed as a Vice-Chancellor should be a distinguished academician, with a minimum of ten years' of experience as Professor in a University or ten years' of experience in a reputed research and/or academic administrative organisation with proof of having demonstrated academic leadership.
- Preferably not more than 65 years of age as on the closing date of receipt of application of this advertisement.

#### **Salary and Service Conditions**

- The post carries a pay of Rs. 2,10,000/- (Fixed) per month with Special Allowance of Rs. 11250/- and other usual allowances.
- The term and conditions of the services will be those as set forth in the Act, Statutes and Ordinances of the University.

#### Procedure for appointment

- Appointment will be made from a panel of names recommended by a Committee constituted under the provisions of Tezpur University Act, 1993.
- The advertisement and the format of application are available on the websites <a href="https://www.education.gov.in">https://www.education.gov.in</a> and <a href="https://www.tezu.ernet.in/">https://www.tezu.ernet.in/</a>.
- The applications in the prescribed proforma should reach within 30 days from the date of publication of this advertisement, by Email only

Email: navin.kumar.nacwc@nic.in

"Application for the post of Vice Chancellor, 'Tezpur University' should be the subject of e-mail.

This department is not responsible for any delay.

\*\*\*\*

## भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग

# तेजपुर विश्वविद्यालय (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय) के कुलपति की नियुक्ति

तेजपुर विश्वविद्यालय उच्चतर अधिगम और शोध में उत्कृष्ता का एक संस्थान है |

## अकादिमक के साथ-साथ प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण कुलपित से यह उम्मीद की जाती है:

- सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यिनष्ठा, नैतिकता और संस्था के प्रित प्रितबद्धता संपन्न व्यक्ति को ही कुलपित नियुक्त किया जायेगा। कुलपित के रूप में नियुक्त किये जाने वाला व्यक्ति एक विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए आचार्य के रूप में अनुभव या एक प्रितिष्ठित अनुसन्धान या शैक्षणिक प्रशंशानिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व के साक्ष्य के साथ 10 वर्षों के अनुभव के साथ एक विशिष्ट शिक्षाविद होना चाहिए।
- इस विज्ञापन में आवेदन प्राप्ति की समापन तिथि पर 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु का नहीं होना वांछनीय।

## वेतन और सेवा शर्तें

- इस पद पर 2,10,000/- रुपए निश्चित प्रतिमाह के साथ 11,250/- रूपये का विशेष भत्ता और अन्य सामान्य भत्तों का भुगतान होता है।
- सेवाओं की निबंधन और शर्तें वह होंगी जो विश्वविद्यालय के अधिनियम, एवं सांविधियों तथा अध्यादेशों में दी गई है।

# नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

- यह नियुक्ति तेजपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के एक पैनल में से की जाएगी।
- यह विज्ञापन और आवेदन का प्रपत्र वेबसाइट http://www.education.gov.in और http://www.tezu.ernet.in/ पर उपलब्ध है |
- निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर निम्नांकित ई-मेल पर पहुंचने चाहिए:

ई-मेल : navin.kumar.nacwc@nic.in

"ई-मेल का विषय 'कुलपति के पद हेतु आवेदन - तेजपुर विश्वविद्यालय", होना चाहिए।

यह विभाग, किसी भी विलंब हेतु जिम्मेदार नहीं।

\*\*\*\*